

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर  
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8384/2017

डॉ. संदीप कोठारी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद कोठारी, जाति कोठारी, निवासी सादुल कॉलोनी,  
तुलसी सर्कल, बीकानेर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, सचिवालय,  
जयपुर राज. के माध्यम से
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण, जयपुर राज.
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण, जयपुर राज.
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़, चूरु राज.
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, चूरु राज.

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री संजीव जौहरी, वरिष्ठ अधिवक्ता  
श्री डी.डी. चितलांगी एवं  
श्री ललित परिहार की सहायता से।

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव रांका  
सुश्री वंदना भंसाली, ए.जी.सी. के लिए

---

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

27/05/2024

1. इस याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है कि वे याचिकाकर्ता को उसकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने की तिथि अर्थात् 23.09.2010 से सभी परिणामी लाभों के साथ सही वेतन निर्धारण प्रदान करें। इसके अलावा, वह उस अवधि को नियमित करने के लिए भी निर्देश चाहता है जिसके दौरान उसे एपीओ की श्रेणी में रखा गया था, असाधारण छुट्टियों

की मंजूरी और ब्याज सहित वेतन के बकाया के साथ संशोधित एलपीसी जारी करने की मांग करता है।

2. संक्षेप में, याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता का चयन प्रारंभ में ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुआ था तथा उसे 05.09.2008 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) सांडवा में 8000-13500 रुपये के वेतनमान पर पदस्थापित किया गया था। उसे उक्त पद पर नियुक्ति दी गई तथा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा गया।

2.1 इसके पश्चात याचिकाकर्ता का चयन सेवारत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कोटे के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किया गया। संयुक्त सचिव ने परिपत्र जारी कर बताया कि राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 110 के अनुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 97 एवं 112 के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

2.2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने 30.06.2010 से 29.06.2013 तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए याचिकाकर्ता की अध्ययन छुट्टी मंजूर की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को याचिकाकर्ता के स्थायीकरण आदेश जारी करने के संबंध में इस आधार पर पत्राचार किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है।

2.3 राजस्थान राज्य ने अपने दिनांक 10.06.2014 के पत्राचार के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाओं का स्थायीकरण किया और उसे राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 8 के अनुसार 15600-39100 रुपये की पे स्केल में 5400/- रुपये के वेतनमान के साथ नियमित वेतनमान प्रदान किया। संबंधित कॉलेजों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, याचिकाकर्ता को जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

2.4. याचिकाकर्ता ने 15.09.2014 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़ को अपनी बीमारी के आधार पर 06.08.2013 से 19.09.2013 तक तथा 21.09.2013 से 02.03.2014 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा कृपया नियमानुसार स्थायीकरण किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़ ने 20.09.2014 को उक्त आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आवेदन को उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया।

2.5. सी.एम.एच.ओ., रतनगढ़ ने 26.05.2015 के पत्र द्वारा 01.07.2013 से 05.08.2013 की अवधि के लिए चेकलिस्ट अग्रेषित की। हालांकि, याचिकाकर्ता की एपीओ अवधि नियमित नहीं की गई और असाधारण छुट्टी भी मंजूर नहीं की गई क्योंकि आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. याचिका में दिए गए उपरोक्त कथन की पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

4. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में अपने दावे के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी को सभी सामग्री प्रदान की थी कि जिस अवधि के दौरान वह काम से अनुपस्थित रहा, वह जानबूझकर इरादे से नहीं था, बल्कि यह उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। उसी के कारण, उसने विभागों को सहायक सामग्री के साथ प्रतिनिधित्व किया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसकी अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में निरंतरता के साथ असाधारण अवकाश अवधि माना जाए।

5. इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका के आधार 19(सी) पर लिए गए प्रासंगिक रुख और प्रतिवादियों द्वारा दिए गए संगत उत्तर को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:-

याचिका का आधार 19(सी)

C. कि राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 110 के अनुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा नियम-112 एवं नियम-97 के अनुसार भुगतान किया जाएगा। दिनांक 29.04.2010 के आदेश के अनुसरण में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ने याचिकाकर्ता को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए 30.06.2010 से 29.06.2013 तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया है। पीजी डिग्री पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता ने चिकित्सा कारणों से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है तथा उसे एपीओ रखा गया है, लेकिन बाद में वह निर्धारित समय पर ड्यूटी पर आया तो याचिकाकर्ता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़ को बीमारी के आधार पर 06.08.2013 से 19.09.2013 तक तथा 21.09.2013 से 02.03.2014 तक

असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा कृपया नियमानुसार स्थायीकरण किया जाए।

इस प्रयोजन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी रतनगढ़ को उक्त आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उच्च अधिकारियों को आवेदन भेजा गया था। तत्पश्चात प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की असाधारण छुट्टी स्वीकृत करने के लिए चेक लिस्ट भेजने को कहा तथा वह सूची उच्च अधिकारियों को भेज दी गई, लेकिन आज तक उसे स्वीकृत नहीं किया गया तथा एपीओ की अवधि को नियमित नहीं किया गया, इस प्रकार एपीओ की अवधि का नियमित न किया जाना, उक्त अवधि का लाभ, असाधारण छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई तथा वेतन का भुगतान नहीं किया जाना जो कि बेगार के बराबर है, जो कि याचिकाकर्ता के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

### उत्तर में संगत प्रतिक्रिया

19. आधारों के उत्तर में, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों की कार्यवाही को किसी भी तरह से मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है, याचिकाकर्ता को दिनांक 30.06.2010 से 29.06.2013 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है और उक्त पीजी पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद।

याचिकाकर्ता को दिनांक 02.08.2013 के आदेश द्वारा राजकीय सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़ में सेवा में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता स्वयं सेवा में शामिल होने के स्थान पर दिनांक 21.09.2013 से 02.03.2014 तक स्वेच्छा से सेवा से अनुपस्थित रहा। निदेशालय, जयपुर के आदेशानुसार याचिकाकर्ता लम्बे समय से अपनी सेवा से अनुपस्थित था, अतः प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

राजस्थान सेवा नियम, 1951 (संक्षेप में "आरएसआर") का नियम 86 अवकाश की

समाप्ति के पश्चात अनुपस्थिति से संबंधित है। इसके उप-नियम (1) में यह प्रावधान है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो बिना अवकाश के अथवा आवेदन किए गए अवकाश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व इयूटी से अनुपस्थित रहता है, उसे तब तक जानबूझकर इयूटी से अनुपस्थित माना जाएगा, जब तक कि संतोषजनक कारण प्रस्तुत किए जाने पर, अनुपस्थिति को देय अवकाश स्वीकृत करके नियमित नहीं कर दिया जाता अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे असाधारण अवकाश में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता। इसी प्रकार नियम 86 के उपनियम (2) के खंड (क) में यह प्रावधान है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पश्चात अथवा अवकाश विस्तार से इंकार की सूचना के पश्चात भी इयूटी से अनुपस्थित रहता है, वह ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी वेतन एवं भत्ते का हकदार नहीं होगा तथा ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जब तक कि संतोषजनक कारण प्रस्तुत न किए जाने पर अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत करके अनुपस्थिति की अवधि को नियमित न कर दिया जाए तथा नियम 86 के उपनियम (2) के खंड (ख) में यह प्रावधान है कि अवकाश की समाप्ति के पश्चात इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। नियम 86 के उपनियम (3) में सेवा से हटाने का दंड निर्धारित किया गया है, यदि एक महीने से अधिक अवधि के लिए इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने का आरोप

साबित हो जाता है, क्योंकि नियम 86 के उपनियम (1) और (2) के प्रावधानों के बावजूद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सीसीए नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

अनुपस्थित कर्मचारी को जानबूझकर अनुपस्थित माना जा सकता है, चाहे वह बिना छुट्टी के अनुपस्थित हो या छुट्टी स्वीकृत होने से पहले अनुपस्थित हो।

याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है और इस बीच, निदेशालय, जयपुर द्वारा दिनांक 01.03.2014 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को सैटेलाइट अस्पताल, सेठी कॉलोनी, जयपुर में पदस्थापित किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण शुरू की गई कार्यवाही विचाराधीन है। इसलिए, असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(जोर दिया गया)

6. संबंधित पक्षों द्वारा लिए गए उपरोक्त रुख का अवलोकन करने पर पता चलता है कि 21.04.2022 तक, जब उपरोक्त रुख अपनाते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया गया था, तब तक याचिकाकर्ता को असाधारण छुट्टी मंजूर करने का प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया गया था।

7. सुनवाई के दौरान, एक ओर जहां विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि निर्णय न लेने में देरी ही अपने आप में खुद ही स्पष्ट है और यह संकेत देती है कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण छुट्टी मानने के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

8. हालांकि, प्रतिवादियों के विद्वान वकील इसका विरोध करेंगे कि निर्णय लेने में देरी जानबूझकर नहीं की गई है क्योंकि विभाग को पहले यह पता लगाना था कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय जांच और/या अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है और/या किसी अन्य अपराध का मामला है, जो अभी भी प्रारंभिक चरण में हो सकता है।

9. जैसा भी हो, जो बात सामने आती है वह यह है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से गैद विभाग के पाले में है क्योंकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में असाधारण छुट्टी के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।
10. इस आधार पर, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को असाधारण छुट्टी की मंजूरी के संबंध में प्रशासनिक पक्ष पर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया जाता है, बशर्ते कि यह सत्यापित किया जाए कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित है या किसी भी प्रकार की कोई अन्य कानूनी बाधा है तो उसे याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए।
11. इसके विपरीत, यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ नहीं पाया जाता है, तो विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह याचिकाकर्ता को इसका लाभ प्रदान करे और उसकी असाधारण छुट्टी को मंजूरी देने के लिए उचित आदेश पारित करे। याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब-प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने के दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक अभ्यास किया जाना चाहिए।
12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अनुकूल आदेश पारित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।
13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।